न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
17 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	17.03.2021	16.10.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री पंकज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री धर्मचन्द अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स कृष्णा ट्रेडर्स सरस दूध डेयरी के सामने डाक बंगला के पास जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी सरस दूध डेयरी के सामने डाक बंगला के पास जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज.। पिनकोड–304502

2–श्री धर्मचन्द अग्रवाल पुत्र श्री छीतर मल अग्रवाल प्रोपरायटर मैसर्स चन्द्र पशु आहार दी सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक के सामने जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक निवासी संजय मार्केट के सामने जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज.। पिनकोड–304502

3–श्री महेश पारवाल डायरेक्टर मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्रा. लि. 2 फ्लोर, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर। फैक्ट्री पता– एफ–47, करतारपुरा इण्ड. एरिया जयपुर। पिनकोड–302006 निवासी–एम–76, महेश कॉलोनी टोंक फाटक जयपुर। पिनकोड–302015

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं धारा 52 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्री प्रमोद शर्मा
अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 श्री तेजमल जैन उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 16/10/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.09.2020 को समय 03:19 पी.एम. पर मैसर्स कृष्णा ट्रेडर्स सरस दूध डेयरी के सामने डाक बंगला के पास जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से श्री पंकज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री धर्मचन्द अग्रवाल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स कृष्णा ट्रेडर्स सरस दूध डेयरी के सामने डाक बंगला के पास जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री पंकज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री धर्मचन्द अग्रवाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पंकज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री धर्मचन्द अग्रवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **चाय माहेश्वरी ब्राण्ड (Tea Maheshwari Brand)** के 500–500 ग्राम के 28 नग पॉली पैक रखे हुए थे जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विकेता श्री पंकज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री धर्मचन्द अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए मे वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री पंकज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री धर्मचन्द अग्रवाल के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **चाय माहेश्वरी ब्राण्ड (Tea Maheshwari Brand)** वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के 4 नग मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **चाय माहेश्वरी ब्राण्ड (Tea Maheshwari Brand)** 500–500 ग्राम के 4 नग मूल पैक में से एक–एक नग को चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बों में रखकर, ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–2590 दर्ज कर, विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2590 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विकेता श्री पंकज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री धर्मचन्द अग्रवाल मैसर्स कृष्णा ट्रेडर्स सरस दूध डेयरी के सामने डाक बंगला के पास जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स चन्द्र पशु आहार दी सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक के सामने जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक का खरीद बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया। मैसर्स चन्द्र पशु आहार ने बतौर वारन्टी मैसर्स माहेश्वरी टी कम्पनी प्रा. लि. 2 फ्लोर, अरिहन्त कॉम्पलेक्स, नाहरगढ रोड जयपुर का खरीद बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/3879 दिनांक 03.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./1315/एक्ट/2020/1392 दिनांक 13.10.2020 के अनुसार विकेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया **चाय माहेश्वरी ब्राण्ड (Tea Maheshwari Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विकेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित हुये एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **चाय माहेश्वरी ब्राण्ड (Tea Maheshwari Brand)** का विक्रय कर रहे थे, वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **चाय माहेश्वरी ब्राण्ड (Tea Maheshwari Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/–(अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में जब्तशुदा सैंपल को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/10/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सोकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0